आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

19.1.16

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

भूहदबंदी धारा 16(3) अपील वाद सं0 – 02/2014–15

मो0 ईसमाईल मियाँ, पिता–स्व0 म0 सलीम मियाँ, सा0–जमुआ, थाना–ताराबाड़ी, जिला–अररिया – प्रथम पक्ष

बनाम

1. श्री अमरेन्द्र कुमार झा, पिता–राजेश्वर झा
2. श्री रामाकांत झा, पिता–स्व0 चर्तुभुज झा

दोनों सा0–जमुआ, थाना–ताराबाड़ी, जिला–अररिया – विपक्षीगण

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद आवेदक मो0 इसमाईल मियाँ, पिता–स्व0 म0 सलीम मियाँ, सा0–जनुआ, थाना–ताराबाड़ी, जिला–अररिया की ओर से वाद सं0 10/2013–14 (अमरेन्द्र कुमार झा बनाम मो0 इसमाईल) अंदर धारा 16(3) भूहदबंदी अधिनियम में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2014 से विक्षुब्ध होकर समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 02.09.2014 को दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा नैसर्गिक न्याय के हित में विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा विधिवत निष्पादन हेतु इस वाद को दिनांक 11.08.2015 को इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया, जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1197, दिनांक 25.08.2015 द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	आर0 ए0 खाता सं0	खेसरा	कुल रकवा
जमुआ	274	30	24 डी0

हस्तांतरण उपरांत न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सूचना निर्गत किया गया तथा विपक्षी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी सं0 2 रामाकांत झा ने आवेदक के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का निबंधित दस्तावेज किया, परन्तु भूमि का पूर्ण राशि प्राप्त नहीं होने के कारण विक्रेता रामाकांत झा ने आवदेक को प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा नहीं दिया। ततपश्चात् दिनांक 12.09.2013 को विक्रेता ने आवेदक के निबंधित दस्तावेज सं0 6099, दिनांक 04.06.2013 को रद्दीनामा दस्तावेज सं0 9222, दिनांक 13.09.2013 द्वारा रद्द करा दिया गया है।

इनका यह भी कहना है कि विपक्षी सं0 1. अमरेन्द्र कुमार झा ने आवेदक के विरूद्ध निम्न न्यायालय में भूहदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) के तहत निबंधित दस्तावेज सं0 6099, दिनांक 04.06.2013 के विरूद्ध वाद सं0 10/2013–14 दाखिल किया। उक्त वाद के दायर होने के बाद हीं उक्त रद्दीनामा दस्तावेज निष्पादित किया गया है। किन्तु विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया ने दिनांक 18.07.2014 को जो आदेश पारित किया है वह बिल्कुल विधि संगत नहीं है, क्योंकि यह दस्तावेज Cancelation का है न कि Transaction का। यदि किसी अन्य को Transfer होता तो वह Transaction अवैध तथा भूहदबंदी अधिनियम के तहत अमान्य होता। परन्तु उक्त भूमि का Transfer अन्य किसी के साथ नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पारित आदेश खारिज योग्य है, जिसे रद्द करने का अनुरोध करते है।

दूसरी ओर विपक्षी सं0 1 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वे प्रश्नगत भूमि के समीपी रैयत है। क्योंकि वे राम किशोर झा के पोता है तथा उन्होंने सिंहेश्वर झा से खेसरा सं0 73, रकवा 21 डी0 भूमि दिनांक 18.12.2009 को निबंधित दस्तावेज द्वारा क्रय किया है। जिसके उत्तर चौहद्दी में आवेदक इसमाईल मियाँ के विक्रेता रामाकांत झा दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी अनरेन्द्र कुमार झा उक्त प्रश्नगत भूमि के समीपी रैयत है।

इनका यह भी कहना है कि आवेदक इसमाईल मियाँ के क्रय प्रश्नगत भूमि के निबंधित दस्तावेज का जो कैन्सिलनामा दस्तावेज दिनांक 13.09.2013 को तामिल व निबंधित किया गया है, उसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। क्योंकि यह कैंसिलनामा दलील ऐरिया सिलिंग का वाद निम्न न्यायालय में दाखिल होने के पश्चात् अमल में लाया गया है। साथ हीं कैंसिलनामा दस्तावेज सिविल कोर्ट द्वारा निरस्त नही है। जबकि इस संबंध में नियमन प्रकाशित है कि केवाला सिविल वाद के द्वारा हीं निरस्त किया जा सकता है। अतः विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया का पारित आदेश दिनांक 18.07.2014 विधि सम्मत है, जिसे बहाल रखते हुए आवेदक के दावे को अस्वीकृत करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, निम्न न्यायालय के पारित आदेश की गहण समीक्षोपरांत स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में आवेदक को निबंधित दस्तावेज सं0 6099, दिनांक 04.06.2013 के विक्रेता रामाकांत झा द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज को कैंसिलनामा दस्तावेज सं0 9222, दिनांक 13.09.2013 द्वारा रद्द किया गया है। उक्त रद्दीनामा केवाला का निष्पादन विक्रेता द्वारा विपक्षी सं0 1. अमरेन्द्र कुमार झा द्वारा निम्न न्यायालय में भूहदबंदी की धारा 16(3) के अन्तर्गत वाद सं0 10/2013–14 दाखिल होने की तिथि 16.08.2013 के पश्चात् निष्पादित किया गया है। किन्तु उक्त रद्दीनामा केवाला को सिविल कोर्ट द्वारा निष्पादित नहीं कराया गया है। दूसरी ओर विपक्षी अमरेन्द्र कुमार

झा प्रश्नगत भूमि के समीपी रैयत भी है और भूहदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) के तहत वाद दायर होने के पश्चात् उक्त प्रश्नगत भूमि का कैंसिलनामा नियम के विरूद्ध है। दूसरी तरफ यदि प्रथम पक्ष के क्रय भूमि को रद्द कर दिया गया है तो, उनका right, title समाप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में इस अपील वाद में उन्हें प्रथम पक्ष बनने की क्या आवश्यकता थी, प्रथम पक्ष तो विक्रेता को होना चाहिये था। परन्तु प्रथम पक्ष बनकर वे उक्त भूमि के स्वामित्व का दावा प्रमाणित कर रहें हैं।

अतः विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 18.07.2014 को विधि सम्मत पाते हुए उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतएव विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 18.07.2014 को बहाल रखते हुए आवेदन के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को आदेश अनुपालनार्थ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह0/–
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह0/–
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 129 / रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 19 / 11 / 2016

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को निम्न न्यायालय का भूहदबंदी धारा 16(3) वाद सं0 10/2013–14 (अमरेन्द्र कुमार झा बनाम मो0 इसराईल) मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : भूहदबंदी धारा 16(3) वाद सं0 10/2013–14 मूल में।

19.11.16
अपर समाहर्त्ता
अररिया